



EXIM:RTI:2018:513

November 19, 2018

श्री शरद कुमार
डी-56, जीएफ 1, सेंट्रल पार्क के पास
कौशाम्बी, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश
पिन-201010

Shri Sharad Kumar
D-56, GF 1, Near Central Park
Kaushambi, Ghaziabad
Uttar Pradesh
PIN-201010

महोदय Sir,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी मांगने के लिए श्री शरद कुमार का आवेदन पत्र

RTI Application of Shri Sharad Kumar regarding information under Right to Information Act, 2005

हम भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा पत्र एफ नं. 20/33/2018-आईएफ-1, दिनांकित 31 अक्टूबर, 2018 के जरिए भेजे गए आपके ऑनलाइन आरटीआई आवेदन पत्र डीओएफएसआर/आर/2018/81695 दिनांकित 10 अक्टूबर, 2018 का संदर्भ देते हैं, जो हमें 5 नवंबर, 2018 को प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के उक्त पत्र में हमें आपको वांछित जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

We refer to letter F.No.20/33/2018-IF-I, dated October 31, 2018, received by us on November 5, 2018, from the Government of India (GOI), Ministry of Finance, Department of Financial Services, forwarding copy of your online RTI application DOFSR/R/2018/81695 dated October 10, 2018. A copy of the said GOI letter has also been endorsed to you. In terms of the said GOI letter, we have been requested for providing the requisite information to you.

2. तदनुसार, आरटीआई अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अनुसार तथा 30 दिनों के अंदर जवाब देने की समय सीमा के अंदर, आपके द्वारा माँगी गई जानकारी अनुलग्नक I एवं II में दी गई है।

2. Accordingly, as specified by the RTI Act and within the 30 days permitted for response, the information requested by you is given at **Annexures I & II**.

3. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इस लेटर हेड पर दिए गए पते पर श्री सुदत्त मंडल, मुख्य महाप्रबंधक तथा एक्जिम बैंक के प्रथम अपील प्राधिकारी को अपील कर सकते हैं।

3. Should you wish to prefer an appeal, arising from this response, you may do so within 30 days of receipt of this letter, addressing your appeal to Shri Sudatta Mandal, Chief General Manager and First Appellate Authority of Exim Bank under RTI Act, at the address stated on the letterhead.

जारी

Continuation



भवदीय Yours faithfully,

(उदय शिंदे Uday Shinde)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

Central Public Information Officer

प्रतिलिपि Cc:

श्री सौम्यजीत घोष

सी पी आई ओ एवं अवर सचिव (आई एफ -I)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

तीसरी मंज़िल, जीवनदीप भवन

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

Shri Soumyajit Ghosh

CPIO & Under Secretary (IF-I)

Government of India

Ministry of Finance

Department of Financial Services

3rd floor, Jeevan Deep Building

Parliament Street, New Delhi-110001

जारी

Continuation



संदर्भ पत्रांक एक्जिम:आरटीआई:2018:513,19 नवंबर, 2018
Ref. Letter No.EXIM:RTI:2018:513, November 19, 2018

अनुलग्नक Annexure-I

Q.No. प्रश्न संख्या	Question प्रश्न	Response जवाब
1	<p>कृपया आपके विभाग के तहत आने वाली कंपनियों/ फाउंडेशन/ अनुभाग/कार्पोरेशन/सोसायटी/ ट्रस्ट/ एनजीओ/संस्थाओं में नियुक्त आंतरिक लेखा परीक्षकों का ब्यौरा संलग्न प्रारूप में प्रदान करें। कृपया संलग्न प्रारूप के सभी कॉलमों को भरें।</p> <p>Please provide us the details of Internal Auditors appointed under Companies/Foundation/Division/Corporation/Society/Trust/NGO/Institute under your department in the attached format. Please fill all the columns of the attached format.</p>	<p>प्रारूप में मांगी गई सूचना अनुलग्नक II में दी गई है। Information as requested in the format is given in Annexure-II.</p>



अनुलग्नक Annexure-II

क्र. सं. Sr. No	विभाग/ सार्वजनिक उपक्रम/अनुभाग/ निगम/कंपनी/ट्रस्ट/सोसायटी/ संस्था का नाम Name of the department/ Public sector undertaking/ division/ corporation/ company/ trust/ society/ institute	आंतरिक अंकेक्षण फर्म/कर्मचारी का नाम Name of Internal Auditor Firm/ employee	आंतरिक अंकेक्षक फर्म नियुक्ति की तिथि Date of appointment of Internal Auditor firm	वर्तमान फर्म कितने वर्षों से संस्थान में अंकेक्षण का कार्य कर रही है Since how many years the present Internal Auditor firm has been functioning in the institution	वर्तमान फर्म के आंतरिक अंकेक्षण के समापन की तिथि Period of conclusion of tenure of the present Internal Auditor firm	टेंडर संख्या तथा दिनांक जिसके द्वारा फर्म को आंतरिक अंकेक्षण दिया गया है Tender no and date through which the Internal Auditor firm has been appointed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	भारतीय निर्यात-आयात बैंक Export-Import Bank of India	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आंतरिक अंकेक्षण: मेसर्स शार्प एंड टन्नन Internal Audit firm for FY 2017-18: M/s Sharp & Tannan	24 अप्रैल, 2018 को आयोजित बैठक में बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया Appointed by the Board at its meeting held on April 24, 2017.	आंतरिक अंकेक्षक के रूप में उन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान नियुक्त किया गया था और यह दूसरा वर्ष है FY 2017-18 was the first year of appointment and this is their 2 nd year as internal auditors	31 मार्च, 2019 March 31, 2019	आंतरिक अंकेक्षण तथा संगामी अंकेक्षण कार्य उन सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने इससे पहले बैंक का सांविधिक अंकेक्षण किया है। बैंक सांविधिक अंकेक्षण करने वालों से कोटेशन मंगाता है तथा उसके बाद बोर्ड के अनुमोदन से इनका चयन किया जाता है। मेसर्स शार्प एंड टन्नन को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अंकेक्षण हेतु चयन किया गया था। The Internal Audit and Concurrent Audit functions are carried out by firms of chartered accountants, which have previously conducted the Statutory Audit of the Bank. The Bank seeks quotations from firms which do statutory audit and thereafter are selected with approval of the Bank's Board. M/s Sharp & Tannan was selected for audit of FY 2017-18.

